न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 01/2018 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

जगदीश शर्मा पुत्र श्री मान शर्मा ग्राम बामनवाटी पो.मंहगी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।

...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय   दिनांकः 15.02.18

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 28.11.2017 का आवेदन–पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के कार्यालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 17.1.2018 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलांट स्वयं उपस्थित। अपीलांट ने अभी तक सूचना नही मिलना अपील में अंकित किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राज्य लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से अभी कोई जवाब/टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 28.11.2017 में अंकित वांछित सूचना/रिकार्ड अपीलांट को निशुल्क उपलब्ध करावे। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 15/02/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डा. मोहन लाल यादव)
अपीलीय अधिकारी,
अति.कलक्टर–प्रथम,जयपुर